

प्रेषक,

संख्या-2319 /15-17-88-63/115/86

श्री एलORसO गौतम,  
संयुक्त सीमा,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्धाक,  
ग्रेन चैम्बर पब्लिक स्कूल,  
मुजफ्फरनगर।

शिक्षा अनुभाग-17

लखनऊ: दिनांक 16 अगस्त, 1988

विषय:- ग्रेन चैम्बर पब्लिक स्कूल, मुजफ्फरनगर को अनापीत प्रमाण पत्र दिए जाने के संबंध में।


महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रेन चैम्बर पब्लिक स्कूल, मुजफ्फरनगर को सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापीत प्रमाण पत्र दिए जाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निम्नीलिखित प्रतिबन्धों/ शर्तों के अधीन विचार किया जा सकता है। यदि आप उक्त परीक्षा बोर्ड से सम्बद्धता हेतु अनापीत प्रमाण पत्र के इच्छुक हों तो निम्नीलिखित शर्तों को स्वीकार किए जाने के संबंध में अपनी लिखित सहमति से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें :-

§क§ सामान्य प्रतिबन्ध

- 1- विद्यालय की प्रबन्धा समितिमें शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 2- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान मेधावी और पिछड़े एवं निर्बल आय वर्ग के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे तथा उनसे उपरो माध्यमिक शिक्षा परिषद/ बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- 3- संस्था को राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा।
- 4- संस्था के सभी अध्यापक/अध्यापिकाएँ प्रशिक्षित होंगे। संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता-प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान एवं अन्य भत्ते नहीं दिए जायेंगे।
- 5- राज्य सरकार अथवा शिक्षा विभाग द्वारा जो भी आदेश निर्गत किए जायेंगे उनका पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा।

.....2/



Principal

Grain Chamber Public School  
New Mandi, Muzaffarnagar


Manager


Grain Chamber Public School  
New Mandi, Muzaffarnagar (U.P.)

6- विद्यालय में अनुशासन तथा शिक्षा का स्तर उच्चकोटि का रखा जायेगा ।

विशेष प्रतिबन्ध

- 1- विद्यालय की प्रबन्धा समीक्षा रीजस्टर्ड होगी तथा समय-समय पर नियमानुसार उसका नवीनीकरण भी कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय में प्रत्येक कक्षा व अनुभाग के लिए उचित आकार के कक्षा-कक्षा, दो पैकील्पक विषय कक्षा, दो प्रयोगशाला कक्षा तथा चार प्रशासनिक कक्षा की व्यवस्था की जायेगी ।
- 3- कर्मचारियों की सेवा-शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता-प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमत्य सेवा-निवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 4- विद्यालय का लेखा-जोखा निर्धारित प्रपत्रों/पंजीकों में रखा जायेगा ।
- 5- विद्यालय के अध्यापक/ अध्यापिकाओं एवं कर्मचारियों हेतु भाविष्य निर्दिष्ट योजना लागू की जायेगी ।
- 2- उक्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी समय उक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त "अनापत्ति प्रमाण पत्र" वापस ले लिया जायेगा ।

भावदीय,

  
§ रमेश गोेल §  
संयुक्त, सचिव।

  
Principal  
Grain Chamber Public School  
New Mandi, Muzaffarnagar  
21-09-2021

  
Manager  
Grain Chamber Public School  
New Mandi, Muzaffarnagar (U.P.)